

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003722013

दांडिक प्रकरण क.-199/13

संस्थापित दिनांक-25.06.13

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- वन विभाग चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-अंतर सिंह पुत्र पूनाराम मोगिया निवासी-रतभानपुर, खुली जेल मुंगावली। 02-मदन पुत्र मोहन लाल जाति मोगिया निवासी-रतभानपुर, खुली जेल मुंगावली। 03-विक्रम सिंह पुत्र पन्ना जाति मोगिया निवासी-रतभानपुर, खुली जेल मुंगावली।आरोपीगण	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री सुमन अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 25.01.2017 को घोषित)

01- वन विभाग म0प्र0 द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत वन प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वन विभाग चंदेरी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध इस आशय का पीओआर काटा गया कि दिनांक 08.07.12 को वीट विक्रमपुर उत्तर में भ्रमण के दौरान तीन व्यक्तियों को आरएफ-146 में देखा गया, उनके पास दो मोटरसाईकिल एमपी08एमए5833 बजाज सीटी-100 तथा एमपी 67एम1600 बजाज प्लेटीना खड़ी मिली। उनके पास एक बोरी थी उसमें चार गो (वन्य प्राणी) दो मरी हुई एवं दो जिंदा मिलीं जिन्हें जप्त कर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे नाम, पता पूछा एवं मौके पर पंचनामा बनाया। वन विभाग द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध विवेचना उपरांत अभियोग पत्र वन प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध 9/51 वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया, आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 08.07.12 को आर एफ 146 में शिकार का प्रतिषेध होने के बावजूद चार गोह वन प्राणियों का शिकार कर धारा 9 वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंधों का उल्लंघन किया, जो धारा 51 में दंडनीय है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रफीक खां, अ.सा. 02 मिर्जा मेहबूब वेग, अ.सा. 03 अमित कुमार, अ.सा. 04 महेश कुमार, अ.सा. 05 डॉ. दिनेश कुमार, अ.सा. 06 आर डी वंश राय, अ.सा. 07 कपूरचंद की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपीगण की ओर से ब.सा. 01 नीलम सिंह, ब.सा. 02 शेरसिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 रफीक खां ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 08.07.12 को वह परिक्षेत्र सहायक नयाखेड़ा के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार परिक्षेत्र सहायक विक्रमपुर कपूर चंद वीटगार्ड मिर्जा वेग, वनरक्षक महेश मल्होत्रा एवं अमित सोनी के साथ शाम को 4 बजे वीट विक्रमपुर के कक्ष क्रमांक 146 का गश्त करने गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार गश्त के दौरान वन क्षेत्र में दो मोटरसाईकिल खड़ी हुईं मिलीं, जिसके पास तीन व्यक्ति मौजूद थे एवं जिस पर एक बोरी बंधी हुई थी। उक्त साक्षी के अनुसार पास पहुंचकर पूछताछ करने पर एवं बोरी चेक करने पर बोरी में दो मृत एवं दो जिंदा गो मिली थीं। अ.सा. 01 के अनुसार मौके पर कार्यवाही के संबंध में पंचनामा प्रपी 01 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार घटना के संबंध में उसके कथन लेखबद्ध किए गए थे तथा मोटरसाईकिल मौके पर जप्त की गई थी तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण सोतेर सड़क पर किनारे मोटरसाईकिल लिए हुए खड़े मिले थे। अ.सा. 01 के अनुसार आरोपीगण के पास से गो को बोरी में पकड़ा था।

08— अ.सा. 02 मिर्जा वेग ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि दिनांक 08.07.12 को वे कक्ष क्रमांक आर एफ 146 में गश्त हेतु गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार तीन लोग एवं दो मोटरसाईकिल मिली थीं। उक्त साक्षी के अनुसार मोटरसाईकिल से बंधी बोरी की जांच की गई थी तो उसमें चार गो मिली थीं जिसमें से दो गो जिंदा थीं एवं दो गो मृत अवस्था में थीं। अ.सा. 02 के अनुसार पूछताछ पर एक व्यक्ति ने अपना नाम अंतरसिंह बताया था तथा प्रपी 01 के पंचनामे की कार्यवाही उनके द्वारा मौके पर की गई थी जिसके सी से सी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा. 02 के अनुसार प्रपी 03 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थी तथा प्रपी 04 का नक्शामौका तैयार किया गया था जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार घटना के संबंध में पीओआर प्रपी 05 काटा गया था तथा आरोपीगण को प्रपी 09 लगायत प्रपी 11 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 12 का पंचनामा जीवित गो को जंगल में छोड़ने एवं मृत गो को जलाकर नष्ट करने के संबंध में तैयार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके कथन लेखबद्ध किए गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण गो को बांधकर पकड़े हुए थे।

09— अ.सा. 03 अमित कुमार ने भी अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 08.07.

12 को सामूहिक गश्त पर विक्रमपुर सब रेंज गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार गश्त के दौरान उन्हें तीन व्यक्ति एवं दो मोटरसाईकिल मिली थीं तथा मोटरसाईकिल पर बोरी बंधी हुई थी एवं बोरी की तलाशी लेने पर उसमें चार गो, दो जिंदा एवं दो मृत मिली थीं। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि न्यायालय में उपस्थित तीनों आरोपीगण को घटनास्थल से पकड़ा था तथा पंचनामा प्रपी 01 की कार्यवाही उसके समक्ष की गई थी जिसके डी से डी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 03 के जप्ती की कार्यवाही उनके समक्ष की गई थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे एवं उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 12 का पंचनामा जिंदा गो को जंगल में छोड़ने एवं मृत गो को नष्ट करने का उसके समक्ष तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा. 04 महेश कुमार ने भी अपने कथन में बताया है कि वह घटना दिनांक को कक्ष क्रमांक आर ए एफ 146 के गश्त पर गए थे तो आरोपीगण के पास से मोटरसाईकिल पर एक बोरी मिली थी जिसमें दो जिंदा एवं दो मृत गो मिली थीं। उक्त साक्षी के अनुसार पंचनामा प्रपी 01 की कार्यवाही उसके समक्ष की गई थी जिसके ई से ई भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 03 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थी तथा घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 04 तैयार किया गया था। अ.सा. 04 के अनुसार मृत गो नष्ट करने एवं जिंदा गो छोड़ने के संबंध में प्रपी 12 का पंचनामा तैयार किया गया था। अ.सा. 04 के अनुसार जप्तशुदा गो बोरी में रखी थीं। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण उन्हें अचानक मिल गए थे। अ.सा. 07 कपूरचंद ने भी अपने कथन में बताया है कि दिनांक 08.07.12 को वह कक्ष क्रमांक 146 में गश्त के लिए गए थे। गश्त के दौरान उन्हें तीन व्यक्ति मिले थे जिनके पास चार गो मिली थीं। उक्त साक्षी के अनुसार पंचनामा प्रपी 01 उसके द्वारा तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 04 उसके द्वारा बनाया गया था तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण रोड पर मिल गए थे।

10— अ.सा. 06 आर डी वंश राय ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 08.07.12 को वह वन परिक्षेत्र चंदेरी में रेंज ऑफिसर के पद पर पदस्थ था तथा उक्त दिनांक को उनके द्वारा प्रपी 19 के पत्र के माध्यम से दो मृत गो एवं दो जिंदा गो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेजी गई थीं तथा अगले दिन उनके द्वारा जीवित गो को जंगल में छोड़ने एवं मृत गो के नष्टीकरण के संबंध में प्रपी 12 का पंचनामा तैयार किया गया था। अ.सा. 05 डॉ दिनेश कुमार ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 08.07.12 को पशु चिकित्सालय चंदेरी में फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा लाई गई एक गो का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 16 है और उक्त रिपोर्टानुसार गो की मृत्यु सांस में अवरोध होने के कारण हुई थी जो कि शिकार के कारण संभावित थी और इसी प्रकार एक अन्य गो का भी शव परीक्षण किया गया था जिसके अनुसार उसकी मृत्यु रक्त जमा होने के कारण हुई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दोनों गो की मृत्यु सांस में अवरोध के कारण हुई थी जो शिकार के कारण संभावित थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष दो जीवित गो परीक्षण के लिए लाई गई थीं जो कि स्वस्थ थीं

11— आरोपीगण की ओर से दो बचाव साक्षियों की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई हैं। ब.सा. 01 नीलम सिंह ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह मुंगावली जा रहा था तब रास्ते में भीडभाड दिखी थी तथा आरोपीगण को फॉरेस्ट वाले पकड़े हुए थे। उक्त साक्षी के अनुसार फारेस्ट वाले कह रहे थे कि आरोपीगण उनकी लकड़ी काटते हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसने जो घटना देखी थी यदि उस अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी

अपराध में आरोपीगण को पकड़ा हो, तो इसकी उसे जानकारी नहीं है। इसी प्रकार ब.सा. 02 शेरसिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह मुंगावली जा रहा था तब रास्ते में आरोपीगण को फॉरेस्ट वाले पकड़े हुए मिले थे। उक्त साक्षी ने भी अपने कथन में बताया है कि उसके सामने कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई तथा यदि आरोपीगण को फॉरेस्ट वालों ने किसी अन्य मामले में पकड़ा हो तो इसकी जानकारी उसे नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में दोनों बचाव साक्षीगण घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। उपरोक्त साक्षीगण ने अपने कथन में बताया है कि उनके समक्ष कोई लिखापढ़ी नहीं हुई। इस प्रकार बचाव साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष देना कि आरोपीगण को किस अन्य मामले में पकड़ा गया था, समीचीन प्रतीत नहीं होता। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 05 जो कि पशु चिकित्सक है उसकी साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को प्रकरण में जप्त की गई मृत गो की मृत्यु शिकार के कारण हुई थी। उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अ.सा. 01 लगायत अ.सा. 04 तथा अ.सा. 07 की साक्ष्य स्पष्ट एवं तटस्थ रही है। उपरोक्त सभी साक्षीगण ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण को उन्होंने गश्त के दौरान पकड़ा था तथा आरोपीगण से दो मृत गो तथा दो जिंदा गो जप्त की गई थीं। उपरोक्त सभी साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई प्रमुख विरोधाभास नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में झूठा मामला बनाया गया है।

12— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा शिकार का प्रतिषेध होने के बावजूद चार गो (वन प्राणी) का शिकार कर वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया। परिणामतः आरोपीगण को धारा 9/51 वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आरोप में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

13— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:—

14. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमन का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण के विरुद्ध वन प्राणियों से संबंधित अपराध प्रमाणित हुआ है जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

15. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके

लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि वन प्राणी एवं वनों के संरक्षण के संबंध में यह संदेश दे कि वन एवं वन प्राणी का संरक्षण मानव जीवन के लिए परमावश्यक है तथा यदि किसी के द्वारा वन एवं वन प्राणी के विरुद्ध कोई अपराध कारित किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को 9/51 वन संरक्षण अधिनियम के अपराध में छः-छः माह के साधारण कारावास एवं 1,500—1,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण एक-एक माह का साधारण कारावास भोगेंगे।

16. आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

18. आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19. आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)